भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2418

04.08.2025 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र

2418. श्रीमती शांभवीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्यशील अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (ईटीपी) से सुसज्जित उद्योगों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या क्या है;

(ख) निर्धारित अपशिष्ट जल बहिस्त्राव मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों के प्रतिशत संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अपशिष्ट जल उपचार मानदंडों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्षेत्रवार क्या कार्रवाई की गई है और जल-संकटग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संकुलों में ईटीपी और सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना और उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ताजे पानी की खपत को कम करने के लिए औद्योगिक शीतलन, निर्माण और लैंडस्केपिंग में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ)

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, कुल 69,854 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा चिह्नित ईटीपी की आवश्यकता है। इनमें से 67,956 उद्योगों में ईटीपी कार्यरत हैं। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार, ईटीपी के बिना और मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध उचित समझी गई कार्रवाई की गई है। यह देखा गया है कि लगभग 98 प्रतिशत उद्योग निर्धारित अपशिष्ट निर्वहन मानकों का अनुपालन कर रहे हैं;

सीपीसीबी ने पूरे देश में अधिक प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की सभी 17 श्रेणियों और गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-विनियामक क्रियाविधि के माध्यम से प्रभावी अनुपालन और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्सर्जित व्यापार अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों को रियल-टाइम मूल्यों को सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को संसाधित करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट सक्रिय हो जाता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योगों द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सके और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

सीपीसीबी गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों सहित 17 श्रेणियों के उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट शोधन सुविधाओं का औचक निरीक्षण तथा निगरानी करता है, जिन्हें इन उद्योगों में संस्थापित ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों (ओसीईएमएस) के माध्यम से उत्पन्न एसएमएस अलर्ट के आधार पर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। अनुपालन न किए जाने पर, पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाती है। जून, 2025 तक, देश में 4538 जीपीआई में से 608 जीपीआई ने पर्यावरणीय मानदण्डों का पालन नहीं किया। पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार, पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने वाले 608 जीपीआई के विरुद्ध कार्रवाई (बंद करने के निर्देश: 36; कारण बताओ नोटिस: 571; निर्देश: 1) की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीपीसीबी ने ओसीईएमएस आंकडों के आधार पर कुल 366 इकाइयों का निरीक्षण किया है, जिनमें से 192 इकाइयों ने पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं किया। पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने वाली 192 इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई (बंद करने के निर्देश: 5 ; कारण बताओ नोटिस: 116; निर्देश: 22; एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश: 49) की गई।

पूरे भारत में कुल 222 सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) कार्यरत हैं, जिनमें से 53 सीईटीपी विभिन्न राज्यों में स्थित हैं और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। जेडएलडी सीईटीपी का क्षेत्रवार वितरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। ये सीईटीपी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चर्मशोधन, विद्युत-लेपन, औषधि और मिश्रित उद्योगों आदि से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन की सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत कुछ कपड़ा और लुगदी एवं कागज़ उद्योगों सहित चुनिंदा सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपीएस) को निर्देश जारी किए हैं। एनएमसीजी ने गंगा और यमुना बेसिनों में स्थित चमड़ा और वस्त्र क्लस्टर में मौजूदा सीईटीपीएस को उन्नत करने और नए सीईटीपीएस स्थापित करने की पहल की है। ये जाजमऊ सीईटीपीएस (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपीएस (4.5 एमएलडी), और मथुरा सीईटीपीएस (6.25 एमएलडी) है।

(ङ) उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने, अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रणालियों, ईटीपी के संवर्द्धन और उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, सीपीसीबी ने विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और विशेषज्ञ साझेदारों के साथ मिलकर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात् लुगदी और कागज (2012, 2015 और 2024), चीनी (2018 और 2025), आसवनी (2018), कपड़ा (2019) और टेनरी (2022) के लिए भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकार पत्र तैयार किए हैं। ये अधिकार पत्र विशिष्ट मीठे पानी की खपत में कमी, अपशिष्ट उत्पादन और शोधित अपशिष्ट के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण, सख्त माप प्रणाली द्वारा स्व-निगरानी और रिपोर्टिंग, लॉगबुक और अभिलेखों का रखरखाव, पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ और प्रयोगशाला आदि को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने नवंबर 2022 में 'शोधित जल का सही तरीके से पुन: उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा' जारी की है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अमृत 2.0 मिशन, औद्योगिक, कृषि, निर्माण और भूनिर्माण, आदि न जैसे पीने योग्य उपयोगों के लिए शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को शामिल करने को बढ़ावा देता है।

****

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	एसपीसीबी/पीसीसी का नाम	ईटीपी की आवश्यकता वाले उद्योगों की कुल संख्या	कार्यशील ईटीपी वाले उद्योगों की संख्या	ईटीपी के बिना प्रचालित उद्योगों की संख्या	कार्यशील ईटीपी वाले उद्योग	
					अपशिष्ट मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अपशिष्ट मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या
क	ख	ग	घ	ङ	ञ	ट
1	अंडमान और निकोबार	22	17	5	17	0
2	आंध्र प्रदेश	1091	1074	17	1053	21
3	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	2	0
4	असम	2472	1677	795	1440	237
5	बिहार	219	212	7	211	1
6	चंडीगढ़	245	244	1	244	0
7	छत्तीसगढ	1056	1051	5	1034	17
8	दमन और दीव	95	95	0	95	0
9	दादरा नगर हवेली	159	154	5	143	11
10	दिल्ली	1504	1504	0	1504	0
11	गोवा	209	209	0	208	1
12	गुजरात	13627	13261	366	13118	143
13	हरियाणा	3966	3693	273	3679	14
14	हिमाचल प्रदेश	1068	1068	0	1052	16
15	जम्मू और कश्मीर	284	240	44	224	16
16	झारखंड	213	213	0	212	1
17	कर्नाटक	3372	3224	148	3177	47
18	केरल	5166	5146	20	5114	32
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1920	1920	0	1919	1
21	महाराष्ट्र	9925	9925	0	9735	190
22	मणिपुर	0	0	0	0	0
23	मेघालय	231	190	41	190	0
24	मिजोरम	56	54	2	54	0
25	नागालैंड	6	6	0	6	0
26	ओडिशा	1445	1414	31	1303	111

27	पुदुचेरी	94	91	3	83	8
28	पंजाब	1811	1741	70	1621	120
29	राजस्थान	1217	1194	23	1154	40
30	सिक्किम	64	64	0	64	0
31	तमिलनाडु	13199	13199	0	13151	48
32	तेलंगाना	2180	2179	1	2142	37
33	त्रिपुरा	26	26	0	16	10
34	उत्तर प्रदेश	2017	1978	39	1903	75
35	उत्तराखंड	871	871	0	864	7
36	पश्चिम बंगाल	22	20	2	12	8
कुल		**69854**	**67956**	**1898**	**66744**	**1212**

अनुलग्नक-II

जेडएलडी सुविधा वाले सीईटीपी का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	**क्षेत्र का नाम**	**सीईटीपी की संख्या**
1.	कपड़ा	28
2.	चमड़ा	13
3.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	4
4.	मिश्रित प्रकार के उद्योग	5
5.	दवा उद्योग	3
	जेडएलडी सीईटीपी की कुल संख्या	53